अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बिहार राज्य कमेटी के अध्यक्ष तथा भूतपूर्व विधायक ने माइका उद्योग के सामने उपस्थित इस गम्भीर संकट के विषय में मिटको के अध्यक्ष तथा वाणिज्य मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा तथा इसके चीफ मैनेजर से बातें भी की, फिर भी अब तक इस संकट का हल नहीं निकाला जा सका है ।

मिटको की इस लूट को बंद करने का एक ही रास्ता है और वह है विदेशी मूल्य तथा इसके खरीद मूल्य में ऐसा अन्तर रखा जाए जिससे छोटे व्यापारी कुछ मुनाफा कमा सकें और मजदूरों को उचित मजदूरी दे सकें ।

अभ्रक उद्योग में व्याप्त इस गम्भीर संकट को दूर करने की दिशा में सरकार को अविलम्ब आवश्यक कदम उठाना तथा वाणिज्य मंत्री को इस संबंध में सदन के सामने एक स्पष्टीकरण देना चाहिए ।

(vii) RAILWAY LINE BETWEEN SHAHJAHANPUR AND MAILANI

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उत्तर प्रदेश में शाहजहानपुर से पुवायां हो कर मैलानी तक रेलवे लाइन डालना अत्यावश्यक है । लगभग 60 किलोमीटर लम्बे इस मार्ग में केवल एक पक्की सड़क है। यह गेहूं धान व गन्ना का उत्तर प्रदेश का सब से बड़ा क्षेत्र है । मार्ग में पुवायां व खुटीर टाउन एरिया हैं जो शीघ्र नगर पालिकाए बनने वाली हैं । पुवायां तहसील हैडक्वार्टर भी है। उपरोक्त मार्ग पर स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले रेलवे लाइन थी जो युद्धकाल में युद्ध आवश्यकताओं को देख कर अन्यत्र डाल दी गई । उस समय यह निश्चय किया गया था कि युद्ध के पश्चात् रेलवे लाइन फिर डाल दी जाएगी । जनता की मांग पर इस रेलवे मार्ग के लिए सर्वे भी कराया गया परन्तु रेलवे लाइन अभी तक नहीं पड़ी है । अतः सार्वजनिक महत्व के इस विषय पर रेलवे लाइन डालने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

12.31 hrs.

RE: MATTERS UNDER RULE 377

MR DEPUTY SPEAKER: Now, further consideration on the Statutory Resolution and the Bill... (*Interruptions*)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): Sir, before you take up that further discussion I would like to make a submission. Now, these 377-rule references are there. You allowed many members to raise matters of public importance under rule 377. Members make statements here on the floor of the House. But the Ministers do not even take cognisance of what is being read under Rule 377.. I know you will cite the rule...

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Vajpayee, we forward these things to the Ministry concerned. Whatever your suggestion is, it should be workable. Ministers have to be in this House and they have also to be in the other House.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: They do not take any cognisance.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): Under rules they are not bound to reply here on the spot; they can choose to reply later; but at least some time-limit should be there. At least within a week's time they should reply.

MR DEPUTY SPEAKER: Your views have been noted.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): You were good enough to accept some of these matters under